संख्या-62/2019/1222/52-1-2019-28(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर 98 तैनात/कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह-मई 2019 से फरवरी 2020 तक के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय हेतु आवंटित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत विभिन्न स्थानों परसेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त 98 कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के माह-मई 2019 से फरवरी 2020 तक अर्थात कुल 10 माह के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/58/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 18.10.2019 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 171.03780 लाख में से **सम्बन्धित लेखा शीर्षक में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि रू0 162.6546 लाख (रूपये एक करोड़ बासठ लाख पैसठ हजार चार सौ साठ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-0103-16 प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 162.6546 लाख से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष सहमति प्रदान करती हैं। उक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी । भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(के0-100/रा0-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	डेटा इंट्री आपरेटरों की संख्या	भा0स0 द्वारा स्वीकृत प्रति माह कुल मानदेय की धनराशि	भा0स0 द्वारा स्वीकृत 10 माह हेतु कुल मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	प्रति माह मानदेय की धनराशि	भा0स0 द्वारा 10 माह हेतु प्राप्त मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	विभिन्न जनपद /स्थान	98	0.21420	209.916	0.18	171.03780	162.6546
	योग	**98**	**0.21420**	**209.916**	**0.18**	**171.03780**	**162.6546**

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://sharanadesh.up.gov.in

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना (के0-100/रा0-00)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2(14) में निहित प्रावधानों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-1222(1)/52-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-4 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in